



947/16 सी
28/04/23

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं :- +91-8126660575::
पता :- भाई की मढ़ी निकट जवाही बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-
सेवा में,

3504 / 12-(2) दिनांक 27/4/2023::

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रुद्रप्रयाग।

विषय :-

जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यगुनि के अन्तर्गत मणिगुह मोटर मार्ग से रयाल डोगा होते हुये खाली-खगोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.385 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/16066/2015

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या-5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8वी0/यू0पी0सी0/06/155/2016/एफ0सी0/1752 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। विषयांकित प्रकरण में सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सौद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (प्रति संलग्न है)

1.

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

I.	ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
II.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.3 (30%)
III.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
IV.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	0.385
V.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	3,87,006.00
VI.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	-2,52,945.00
VII.	वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	1,34,061.00

(3,87,006.00-2,52,945.00) एक लाख, चौतीस हजार, इकसठ मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

2.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8वी0/यू0पी0सी0/06/155/2016/एफ0सी0/1187 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा लगाई गई आपत्ति (सौद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 के अनुपालना में प्रेषित FRA certificate, DLC meeting proceedings, SDLC meeting proceedings तथा VLC meeting proceedings सही क्रम में नहीं हैं तथा VLC meeting proceedings की तिथि DLC meeting proceedings तथा SDLC meeting proceedings के बाद की है जो कि उससे पहले होनी चाहिये। अतः proceedings सही तिथि क्रमानुसार FRA certificate, DLC meeting proceedings, तथा SDLC meeting proceedings तथा VLC meeting proceedings की मूल प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें) का निराकरण कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित वन के परचात ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सौद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वांछित सूचना मय संलग्नक मूल सहित चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निरन्तरण किया जा सके।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

4-6 IV / वन भूमि 4610
अच 38/04/23